



राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (लोक अदालत) विनियम 2009 यथा संशोधित विनियम 2019 के प्रावधानों के नियम 6 (ख) की पालना में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के आसीन माननीय न्यायाधिपतिगणों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत की बैचों का गठन पूर्व में पत्र क्रमांक 346-356 दिनांक 06.09.2025 द्वारा किया गया था। उक्त संबध में निर्देशानुसार बैचों का पुनर्गठन अग्रलिखितानुसार किया गया है-

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 1

(Court No. 17)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् मुकेश राजपुरोहित
श्रीमान् राजेश जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यक्ष
मनोनीत सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 2

(Court No. 02)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संदीप तनेजा
श्रीमान् धीरेन्द्र सिंह चम्पावल, वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यक्ष
मनोनीत सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 3

(Court No. 06)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् विधिन गुप्ता
श्रीमान् मनीष सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यक्ष
मनोनीत सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत बैच संख्या 4

(Court No. 08)

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् रवि चिरानिया
डॉ. अशोक सोनी, वरिष्ठ अधिवक्ता

अध्यक्ष
मनोनीत सदस्य

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 तक किया जायेगा।